(चावल के हिसाब से धान सहित) की निम्नलिखित मात्राएं वसूल की गई हैं :—

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

एजेन्सी	गेहूं	चावल
भारतीय खाद्य निगम	18	—
राज्य एजेंसियां	401	243
सहकारी संघ	61	—
उपभोक्ता सहकारी संघ	17	—
जोड़	497	243

(ख) वर्तमान रबी विपणन मौसम 1992–93 के दौरान गेहूं का वसूली मूल्य 275/– रुपये प्रति क्विंटल था जिसमें 250/– रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा पहली अप्रैल से 30 जून, 1992 तक अदा किया गया 25/– रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस शामिल है।

धान की साधारण किस्म के लिए 270/– रुपये प्रति क्विंटल बढ़िया किस्म के लिए 280/– रुपये प्रति क्विंटल और उत्तम किस्म के लिए 290/– रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए लेवी चावल की सुपुर्दगी हेतु चावल मिल मालिकों को देय लेवी चावल के वसूली मूल्य साधारण किस्म के लिए 441.30 रुपये प्रति क्विंटल, बढ़िया किस्म के लिए 456.50 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तम किस्म के लिए 482.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 28–12–1991 से प्रभावी गेहूं और चावल के वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) देश भर में एक–समान हैं और वे इस प्रकार हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

गेहूं	चावल		
	साधारण	बढ़िया	उत्तम
280.00	377.00	437.00	458.00

केन्द्रीय निर्गम मूल्य भारतीय खाद्य निगम की इकनामिक लागत से कम निर्धारित किए जाते हैं और इस वजह से सरकार को भारी मात्रा में खाद्य राज सहायता वहन करनी पड़ती है। अतः इससे सरकार द्वारा मुनाफा कमाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार

1840. श्री राम नरेश यादव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में कतिपय सुधार करने की सिफारिश की थीं;

(ख) यदि हां तो सरकार ने इस सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) : जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया था। सरकार ने इस समिति की सिफारिशों की जांच की है। अव्यवहार्य पाई गई कुछेक सिफारिशों को छोड़कर अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

चीनी मिलों के लिए नए दिशा–निर्देश

1841. श्री राम सिंह राठवा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों के संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा–निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां तो इन दिशा–निर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) नई चीनी मिल लगाने/मौजूदा क्षमताओं में विस्तार के